HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
NOTIFICATION
DATED: ALLAHABAD: OCTOBER 22, 2019

No. 3575 /Admin. (Services)/2019

Pursuant to Government Notification/Appointment No. 763/II-4-2019-32(1)/2019 dated 30.09.2019, Sushri **Poonam Singhal**, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 3576 /Admin. (Services)/2019

Pursuant to Government Notification/Appointment No. 769/II-4-2019-32(1)/2019 T.C. dated 30.09.2019, Sri **Parkash Chand Rana**, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 3577 /Admin. (Services)/2019

Pursuant to Government Notification/Appointment No. 769/II-4-2019-32(1)/2019 T.C. dated 30.09.2019, Sri **Mukund Kumar**, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lalitpur vice Sri Chandra Mohan Srivastava.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lalitpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 3578 /Admin. (Services)/2019

Sri **Chandra Mohan Srivastava**, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lalitpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lalitpur in the vacant court for trying cases of crime against women.

No. 3579 /Admin. (Services)/2019

Pursuant to Government Notification/Appointment No. 769/II-4-2019-32(1)/2019 T.C. dated 30.09.2019, Sri **Govind Mohan**, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Ballia.

No. 3580 /Admin. (Services)/2019

Pursuant to Government Notification/Appointment No. 663/II-4-2019-32(1)/2019 dated 16.09.2019, on promotion to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, Sri **Shiv Kumar-II**, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Ballia.

BY ORDER OF THE COURT,

sd/-
(MAYANK KUMAR JAIN)
REGISTRAR GENERAL

No. 549/Admin. (Services)/2019 Dated: Allahabad: October 22, 2019

Copy forwarded for information and necessary action to:

1 The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2 Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.

3 Pramukh Sachiv, Nyay & Vidhi Paramarshi, U.P. Shasan, Lucknow.
4 The Special Secretary (Law) and Additional Legal Remembrancer, Government of U.P. Supreme Court (Legal Cell), III Floor, Bar Council of India Building, 21 Rouse Avenue Urdu Ghar Marg, New Delhi.
5 The Director, Institute of Judicial Training & Research, U.P., Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow requesting him to make arrangement for training of above mentioned newly Direct Recruits (Information available on E-mail).
6 The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
7 All the District & Sessions Judges subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad.(Information available on E-mail).

The Officers mentioned above shall hand over charge of their present posts and shall proceed to take over charge of their new postings immediately.

The handing and taking over charge certificates may kindly be sent to the Section Officer (Services), High Court, Allahabad forthwith.

The officers shall also mention therein personal ID no. allotted by the Court on the charge certificates.

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance to the circular letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

The officers, who are transferred/ posted on their own request, are not entitled for any T.A. under Rule 42 of Chapter-IV of Financial Hand Book, Volume-III.

8

Sl. No.	**Name of candidate**
1.	Sushri Poonam Singhal D/o Sri Mahender Singh, R/o House No. E-136, New Model Town, Hisar, Haryana - 125005
2.	Sri Parkash Chand Rana S/o Sri Soda Ram Rana, R/o House No. 502/1, Milk Colony, Dhanas, Sector 14 (W), Chandigarh - 160014
3.	Sri Mukund Kumar S/o Sri Paras Nath Singh, R/o House No. 223/B, Gali No. 23, Block -F, Phase – VI, Aya Nagar Extn., South Delhi, Delhi - 110047
4.	Sri Govind Mohan S/o Sri Awadhesh Kumar Ojha, Retd. Judge, Maruti Nagar, Balbtra Road Ara, Bhajpur, Bihar - 801302

The above mentioned newly appointed Direct Recruits from the Bar shall proceed to take over charge of their posting immediately in pursuance of Government notification/appointment No. 763/II-4-2019-32(1)/2019 dated 30.09.2019 and 769/II-4-2019-32(1)/2019 T.C. dated 30.09.2019.

The Direct Recruits from the Bar who have been appointed are directed to swear an '**affidavit'** mentioning therein the facts as mentioned at point no. 5 of the Government Appointment dated 30.09.2019.

9 The Senior Registrar, High Court Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).
10 The Publication Secretary, U.P. Judicial Services Association Office, A-1, River Bank Judges Colony, Lucknow.
11 The Joint Registrar (J) (Budget), High Court, Allahabad.
12 The Joint Registrar (Judicial) (Confidential), High Court, Allahabad.
13 The Joint Registrar (Judicial) (I), High Court, Allahabad.
14 The Officer On Special Duty (Judicial)/ Incharge Computer Centre, High Court, Allahabad.
15 The Deputy Registrar (G), High Court, Allahabad.
16 The Deputy Registrar (Admin.), High Court, Allahabad.
17 The Section Officer (Admin. A-2 Section), High Court, Allahabad.
18 The Section Officer (Admin.A-3 Section), High Court, Allahabad.

19 The Section Officer (Admin. C Section), High Court, Allahabad.
20 The Section Officer (Confidential 'B'), High Court, Allahabad.
21 The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
22 P.S. to Hon’ble Judges, with the request to place this notification before the Hon’ble Judges sitting at Allahabad & Lucknow for their Lordship’s kind perusal. (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT,

sd/-
(ATUL SRIVASTAVA)
REGISTRAR (JUDICIAL) (SERVICES)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-763/दो-4-2019-32(1)/2019
लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-170 एस एण्ड ए/2019, दिनांक 28-03-2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-2/2019/113(2)/दो-4-2019-32(1)/2019, दिनांक 17 मई, 2019 द्वारा 100 न्यायिक अधिकारियों (भर्ती का स्रोत-प्रोन्नति) के नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 के सीधी भर्ती के 12 अभ्यर्थियों में से नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-286/ दो-4-2019-32(1)/2019, दिनांक 19 जुलाई, 2019 द्वारा 06 अभ्यर्थियों, विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-483/ दो-4-2019-32(1)/2019, दिनांक 29 जुलाई, 2019 द्वारा 04 अभ्यर्थियों एवं विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-488/ दो-4-2019-32(1)/2019, दिनांक 07 अगस्त, 2019 द्वारा 01 अभ्यर्थी सहित कुल-11 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 में चयनित सीधी भर्ती के 12 अभ्यर्थियों की सूची में अवशेष 01 अभ्यर्थी सुश्री पूनम सिंघल का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सम्बन्धी समस्त औपचारिकता पूर्ण होने पर सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित) के नियम-18, 20 एवं 21 के अन्तर्गत उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती की सुश्री पूनम सिंघल (अनुक्रमांक-3564, मूल सूची का क्रमांक-54) को उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित) के नियम-22(1) की व्यवस्थानुसार नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता अनन्तिम मानी जायेगी तथा ज्येष्ठता सूची मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

4- उपर्युक्त नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय में योजित सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगी। ऐसे समस्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति सतर्कता जांच के निष्कर्ष के अधीन होगी, जिनके विरूद्ध सतर्कता जांच लम्बित है।

5- सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं चरित्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किये जाने से पूर्व की अवधि का कोई प्रतिकूल तथ्य यदि अभ्यर्थी के स्वयं के संज्ञान में नहीं है तो इस आशय के शपथ-पत्र के साथ महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुसार वे यथानिर्दिष्ट स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे। प्रश्नगत अवधि में उनके विरूद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य उनके संज्ञान में है तो इसकी सूचना वे महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकुल सिंहल

संख्या-763(1) /दो-4-2019-32(1)/2019,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

विशेष वाहक द्वारा -

1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-170 एस एण्ड ए/2019, दिनांक 28-03-2019, पत्र संख्या-225 एस एण्ड ए/2019, दिनांक 01-05-2019 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-286 एस एण्ड ए/2019, दिनांक 11-07-2019 के सन्दर्भ में इस विज्ञप्ति की 02 अतिरिक्त प्रति, सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन-प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित **मूलरूप में** तथा चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट **मूलरूप में** इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी यदि कोई मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उस स्थिति में अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

5- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

6- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, गोमतीनगर, लखनऊ।

7- निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

8- सुश्री पूनम सिंघल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णत: अस्थाई है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार अपना योगदान प्रस्तुत करें। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में यदि अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो आपका अभ्यर्थन स्वत: समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं हैं, तो इसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल भेजें। उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर आपकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि आपको निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आप जब तक उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाती हैं तब तक अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय सूचना संख्या-20/1/74 नियुक्ति-3, दिनांक 11-06-75 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगी। आपको कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। **(द्वारा - महानिबन्धक)**

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
विशेष सचिव।

U.O.Niyukti/Pro.

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-769/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0

लखनऊः दिनांक 30 सितम्बर, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-293/एस एण्ड ए/2019 दिनांक 26-07-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 (पार्ट-2) के संबंध में प्राप्त संस्तुति के क्रम में नियुक्ति अनुभाग-4 की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-486/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0, दिनांक 06-8-2019 द्वारा प्रोन्नत न्यायिक अधिकारियों एवं सीधी भर्ती की प्राप्त 38 संस्तुतियों के सापेक्ष विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-516/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0, दिनांक 09-8-2019 द्वारा 08, विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-537/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0, दिनांक 19-8-2019 द्वारा 10, विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-550/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0, दिनांक 05-09-2019 द्वारा 09, विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-597/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0, दिनांक 11-09-2019 द्वारा 04 तथा विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-660/दो-4-2019-32(1)/2019 टी0सी0, दिनांक 16-09-2019 द्वारा 04 (कुल-35) न्यायिक अधिकारियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये थे।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 (पार्ट-2) में चयनित सीधी भर्ती के 38 अभ्यर्थियों में से अवशेष 03 अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधी समस्त औचारिकता पूर्ण होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित) के नियम-18, 20 एवं 21 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित) के नियम-22(1) के अन्तर्गत प्रस्तर-3 एवं 4 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन निम्नलिखित 03 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं-

क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री-	महानिबन्धक द्वारा प्रेषित मूल सूची का क्रमांक
1-	4154	प्रकाश चन्द राना	02
2-	3620	मुकुन्द कुमार	51
3-	2213	गोविन्द मोहन	74

3- उक्त के अतिरिक्त महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित 236 अभ्यर्थियों की सूची में सीधी भर्ती के 11 पद मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षित किये गये है। 01 पद क्रमांक-69 (प्रोन्नति) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित)

के नियम-5(ए) के अधीन Sealed cover में रखा गया है। मा0 उच्च न्यायालय से उपरोक्त 11+01 पदों की संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

4- उपर्युक्त अभ्यर्थियों/न्यायिक अधिकारियों का रोस्टर पूर्णतः अनन्तिम है, जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालयों में योजित याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय के स्तर से निर्धारित किया जायेगा तथा इनकी ज्येष्ठता भी मा0 उच्च न्यायालय के स्तर से बाद में निर्धारित की जायेगी।

5- उपर्युक्त प्रोन्नति/नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय में योजित संबंधित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। ऐसे समस्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, जिनके विरूद्ध सतर्कता जांच लम्बित है, सतर्कता जांच के निष्कर्ष के अधीन होगी।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-769(1)/दो-4-2019-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

विशेष वाहक द्वारा -

1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-293/एस एण्ड ए/2019 दिनांक 26-07-2019 के सन्दर्भ में इस विज्ञप्ति/नियुक्ति की 02 अतिरिक्त प्रति, सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन-प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उस स्थिति में अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

4- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज ।

5- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, प्रयागराज।

6- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।

7- निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को उ0प्र0 गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

8- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित

कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार अपना योगदान प्रस्तुत करें। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में यदि कोई अभ्यर्थी अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं, तो इसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल भेजें। उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी जबतक उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं, तबतक अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय सूचना संख्या-20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11-06-75 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। (द्वारा - महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
विशेष सचिव।